संख्या– /पॉच–6–2016–83जी/2016

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 सरकार।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2016

विषय :– उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 के नियम–16 के अन्तर्गत पेंशनर की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 का नियम–16 व उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 का नियम–20 क्रमशः पेंशन भोगी के **प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने** तथा उपचार हेतु **प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृर्ता प्राधिकारी** से सम्बन्धित है। इस प्रकार नियम–16 व 20 के प्राविधान अलग–अलग है और उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 के नियम–16 को प्रथम संशोधन 2014 द्वारा समाप्त/संशोधित नहीं किया गया है। इसके बावजूद पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को कार्यालयाध्यक्ष/सम्बन्धित जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारित नहीं किया जा रहा है जिससे पेंशनर को चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

2. अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 के नियम–16 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि 'किसी पेंशनभोगी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहां से वह पेंशन आहरित कर रहा है। जहां ऐसा कोई कार्यालय न हो वहां सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा।'

3. प्रश्नगत नियम–16 में उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 द्वारा कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी पेंशनर्स अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को जिस जनपद से वह पेंशन आहरित कर रहा है उस जनपद के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा यदि ऐसा कोई कार्यालय सम्बन्धित जनपद में नहीं है तो सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा।

D/Rajesh SC

4. इसी प्रकार उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 का नियम–20 उपचार हेतु **प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृर्ता प्राधिकारी से सम्बन्धित है।** तद्नुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 यथा संशोधित 2014 के 20 के अनुसार दावें की धनराशि के अनुसार सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त दावों को स्वीकृत किया जायेगा।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 के नियम–16 के अनुसार जिस जनपद में पेंशनभोगी के सम्बन्धित विभाग कोई कार्यालय न हो वहां सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट को पेंशनभोगी द्वारा अपना चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट इस प्रायोजनार्थ कार्यालाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा। इसके साथ ही ऐसी स्थिति में उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 का नियम–20 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट पेंशनर के रूपया 5.00 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को स्वीकृत किये जाने अधिकार भी प्रतिनिधानित किये गये है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 का नियम–16 व उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 का नियम–20 दोनों अलग–अलग प्राविधान है।

उदाहरण–1 :– 'क' नामक पेंशनर वाणिज्य कर विभाग में तैनात था तथा जनपद–लखनऊ से सेवानिवृत्त हुआ है और वह जनपद हरदोई से पेंशन प्राप्त कर रहा है। उसके द्वारा रू0 3.00 लाख का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 यथा संशोधित 2014 के नियम–16 के अनुसार जनपद हरदोई के वाणिज्य कर विभाग के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। जनपद हरदोई के वाणिज्य कर विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा 'क' नामक पेंशनर के रू0 3.00 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 यथा संशोधित 2014 के नियम–20 के अन्तर्गत सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से परीक्षण कराने के उपरान्त यदि दावा रू0 2.00 लाख से अधिक का परीक्षित होता है तो उसे स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्ष अर्थात वाणिज्य कर आयुक्त के कार्यालय को प्रेषित करेगा और वाणिज्य कर आयुक्त के कार्यालय द्वारा उक्त दावे के स्वीकृति का आदेश निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त उक्त आदेश के भुगतान की कार्यवाही जनपद–हरदोई के वाणिज्य कर विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

उदाहरण–2 :– 'क' नामक पेंशनर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तैनात था तथा जनपद–इलाहाबाद से सेवानिवृत्त हुआ है और वह जनपद फतेहपुर से पेंशन प्राप्त कर रहा है। उसके द्वारा रू0 11.00 लाख का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 यथा संशोधित 2014 के नियम–16 के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर द्वारा 'क' नामक पेंशनर के रू0 11.00 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 यथा संशोधित 2014 के नियम–20 के अन्तर्गत सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से परीक्षण कराने के उपरान्त स्वीकृति हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करेगा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए उक्त दावे के स्वीकृति का आदेश निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त उक्त आदेश के भुगतान की कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के द्वारा की जायेगी।

उदाहरण–3 :– 'क' नामक पेंशनर हथकरघा विभाग में तैनात था तथा जनपद–सोनभद्र से पेंशन प्राप्त कर रहा है। उसके द्वारा रू0 4.00 लाख का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 यथा संशोधित 2014 के नियम–16 के अनुसार जिलाधिकारी, सोनभद्र को प्रस्तुत किया जायेगा। हथकरघा विभाग का कार्यालय जनपद स्तर पर न होने के कारण जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा 'क' नामक पेंशनर के रू0 4.00 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 यथासंशोधित 2014 के नियम–20 के अन्तर्गत सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से परीक्षण कराने के उपरान्त यदि दावा रू0 5.00 लाख तक का परीक्षित होता है तो उसे जिलाधिकारी, सोनभद्र के द्वारा ही स्वीकृत करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया तदनुसार उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 के नियम–16 के अन्तर्गत पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 275/2016/1939 **(1)/पांच–6–2016 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
3. आदर्श कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. समस्त कोषागार, उ0प्र0।
5. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की अपने स्तर से सभी समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. सचिव, उ0प्र0 सचिवालय पेंशनर वेलफेयर एशोसियेशन, कमरा नं0–519, बापू भवन, लखनऊ।
8. महामंत्री, कार्मिशियल टैक्स (रिटायर्ड) आफिसर्स एशोसियेशन, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।
10. विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

D/Rajesh GO